दिनांक 26.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संबंधी कार्यवाही

बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य रुप से निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

1. राज्य में विभिन्न बीज उत्पादन योजनाओं का लाभ फसलों के उत्पादन बढ़ाने में मिला है, इसलिये बीज उत्पादन के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें। खास कर दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिये उसके बीज प्रतिस्थापन दर को विशेष रुप से बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. दलहनी फसलों पर दी जा रही अनुदान की राशि काफी कम है, इसे बढ़ायी जाय।
3. जी०एम० सीड में जिस तरह बी०टी० बैगन एवं मक्का पर राज्य सरकार का स्टैंड था वही राई/सरसों के मामले में भी स्टैंड लेना होगा, विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर राई/सरसों के मामले में जी०एम० सीड का उपयोग बहुत ही प्रतिकुल होगा। राज्य सरकार की ओर से एक विरोध पत्र के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया जाय।
4. राज्य में चलाई जा रही केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा (Assessement/ Analysis) कर ली जाय तथा उसके आधार पर यह तय किये जायें कि कौन–सी योजना का क्रियान्वयन किया जाना है या कौन–सी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाना है।
5. कृषि यांत्रिकरण योजना राज्य सरकार की महात्वकांक्षी योजना है। इसकी समीक्षा कर ली जाय तथा भारत सरकार से इसके लिये प्रधानमंत्री पैकेज में लक्षित राशि को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।
6. राज्य में चलाई जा रही कृषि यांत्रिकरण योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन जमीनी स्तर पर करायें। किसानों के हित में यह योजना काफी उपयोगी है, जमीनी स्तर पर इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करने हेतु राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों से इसका विशिष्ट अध्ययन कराया जाय। कृषि यांत्रिकरण योजना के स्वरूप एवं व्यवस्था की समीक्षा कर ऐसे सकारात्मक बदलाव किये जायें ताकि व्यय हो रही राशि वास्तविक लाभ में परिणित हो सके और लक्षित समूह को यंत्रों का पूर्ण लाभ मिल सके।
7. मोतिहारी, बिहार में समेकित कृषि प्रणाली का राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु आई०सी०ए०आर० की क्या परियोजना है? इसे अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाय।
8. पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण कराना अच्छी पहल है। परंतु जमीनी स्तर पर इसका सत्यापन होना चाहिये कि पंजीकृत व्यक्ति असल में किसान हैं या नहीं। कृषि रोड मैप में किसान की परिभाषा को मानक मानकर उन सभी किसानों को इस दायरे में लाना होगा।
9. बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज उत्पादक किसानों से क्रय किये गये बीजों का भुगतान रोहतास एवं कैमूर के किसानों को अभी तक नहीं किया गया है। इसे देख लें।
10. किसानों से धान बीज क्रय पर भी बोनस देने की योजना को चालु रखने हेतु सक्षम स्तर पर उपयुक्त निर्णय लिये जायें।
11. राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में श्री विधि का बड़ा योगदान रहा है। श्री विधि से खेती के क्षेत्र विस्तार में कमी की समीक्षोपरान्त श्री विधि के अवयवों में आवश्यक सुधार कर, रोड मैप में दिये गये लक्ष्य के अनुसार कार्य किया जाय। केवल प्रत्यक्षण ही नहीं बल्कि इसका प्रचार–प्रसार करते हुये किसानों को प्रोत्साहित कर क्षेत्र विस्तार करने पर बल दिया जाय।

12. टाल एवं दियारा क्षेत्रों के विकास के लिये क्षेत्र विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित की जायें। इन क्षेत्रों में नील गाय की समस्या का समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा इसे मारने का आदेश दे दिया गया है, वन विभाग से इसकी अधिसूचना प्राप्त कर किसानों के बीच इसे प्रचारित किया जाय।

13. राज्य में जैविक खेती हेतु कोरिडोर बनाया जाय। इसके लिये, जहाँ किसान जैविक खेती कर रहे हैं वहाँ जैविक खेती हेतु क्षेत्र का विस्तार करने पर बल दिया जाय ताकि एक कोरिडोर बन सके। जैविक प्रमाणीकरण की पूरी व्यवस्था की जाय।

14. कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप जिलावार कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उपलब्धि हेतु आवश्यक कदम उठाये जाए।

15. योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु क्षेत्र वार विशेषज्ञता के आधार पर कार्यक्रम बनाये जायें तथा यह निर्धारित की जाय कि किस जिले में कौन–सी योजना चलाई जा सकती है। 5–10 जगहों का चयन कर तकनीकी का विकास किया जाय।

16. बाजार समिति के विकास के लिये अपने संसाधनों को सुदृढ़ बनाना होगा। बाजार समिति स्थित भण्डारण की आधारभूत संरचनाओं को maintain करने के लिये किराया को बढ़ाया जा सकता है। भण्डारण की संरचनाओं के मरम्मती एवं घेराबंदी के लिये कार्य योजना बनाया जाय। बाजार समिति के सभी संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए एक समेकित कार्य योजना बनाई जाए।

17. BAGRI योजना के कार्यान्वयन में सहकारिता विभाग को भी सम्मिलित किया जाय।

18. राज्य में फल एवं सब्जी उत्पादन के आँकड़े वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित किये जायें।

19. उद्यान मे पॉली हाउस की योजना के लिये कोरिडोर बनाकर कार्यान्वयन किया जाय। ऐसा कोरिडोर जो लोगों को Showcase किया जा सके। किसानों को बामेती तथा आत्मा के माध्यम से क्षेत्रवार विशेष योजनाओं एवं कोरिडोरों को दिखाने हेतु परिभ्रमण कराया जायें।

20. अगली बार कृषि रोड मैप की बैठक में रोड मैप के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा की जायेगी, जिसमें संबंधित विभागों को भी शामिल किया जाय। अगर कोई mid-course correction की आवश्यकता है तो तदनुसार प्रस्ताव लाया जाए।

21. राज्य के सभी किसानों को उनके खेतों की मिट्टी जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाय, ताकि किसान उसके अनुसार अपने खेत में आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग कर सके।

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 47 पटना, दिनांक : 20/01/2016

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 47 पटना, दिनांक : 20/01/2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा/प्रधान सचिव, उद्योग/प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/प्रधान सचिव, पंचायती राज/प्रधान सचिव, आपदा प्रबन्धन/प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 47 पटना, दिनांक : 20/01/2016

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मिशन निदेशक, बागवानी विकास–सह–निदेशक, उद्यान/कृषि निदेशक/प्रशासक, बिहार राज्य बाजार समिति (विघटित)/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/निदेशक, बामेती/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/संयुक्त निदेशक (रसायन), कम्पोस्ट एवं बायोगैस/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण–सह–प्रभारी पदाधिकारी, टाल विकास/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/उप निदेशक (शष्य), बीज/परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना